भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 650
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मॉब लिंचिंग अपराध

†650. श्री सतीश कुमार गौतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत मॉब लिंचिंग को अपराध के रूप में चिह्नित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्याय के प्रयोजनार्थ इसमें अधिकतम कितनी सजा होगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): पहली बार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 103 (2) के तहत मॉब लिंचिंग के नए अपराध को दंडनीय बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (2) में यह प्रावधान है कि जब एक साथ मिलकर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एक समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

*****